अशिक्षा औंर ग्रामीण महिला नेतृत्व

डॉ0 राकेश कुमार राणा
असिसटैंट प्रोफेसर
समाज शास्त्र विभाग
एम0 एम0 एच0 कालेज गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश
Email: sanjeev83bhatia@gmail.com

सुनीता रानी
शोधार्थी

सारांश

भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में महिला आरक्षण से स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी तो अवश्य बढी है किन्तु नेतृत्व की क्षमता का विकास पूर्ण विकसित नहीं हो पाया है। जहां एक और महिला प्रतिनिधि द्वारा प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय समस्याओं को दूर किया जा रहा हैं। वही दूसरी ओर कुछ ऐसे भी तथ्य सामने आये हैं जो महिला सरपंचों के पूर्ण नेतृत्व के विकास में बाधक कारक बने हुए हैं। अशिक्षित होने पर महिला सरपंच या अन्य महिला सदस्यों की पंचायत में आलोचना होती है। साथ ही प्रधान पति या परिवार के पुरूष सदस्य पंचायत के कार्य में हस्तक्षेप कर अपनी निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। अतः इन पर अंकुश लगाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर शासनादेश भी लाये गये हैं। अतः सरकार द्वारा महिला आरक्षण का प्रतिशत बढानें के साथ ही ग्रामीण महिला नेतृत्व को विकसित करने में प्रशिक्षण को ओर भी अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से 17 अप्रैल, 2017 को देश के सभी महिला प्रतिनिधियों की क्षमता को बढानें और उनके प्रशिक्षण के बारे में विस्तृत मॉडल की शुरूआत की है। जिसके तहत विभिन्न विषयों जैसे– आदर्श पंचायत क्या है, विकास योजनाओं, पंचायतों के संसाधनों और उनका उपयोग और दुर्बल वर्गों के नियमों आदि पर चर्चाएं आयोजित की जाती हैं।

प्रस्तावना

भारत में पंचायती राज प्रणाली विश्व की वृहत्तम लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। लोकतन्त्र मूलतः विकेन्द्रीकरण पर आधारित शासन व्यवस्था से है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब गॉधी जी की अनुशंसा से पंचायत का गठन किया गया। जिसको संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णित किया गया है। 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

73वें संविधान संशोधन की धारा 243घ के अनुसार प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन

द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई पद महिलाओं के लिए हैं। ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किये जायेगें। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात में कुल आरक्षित पदों में से एक तिहाई पद इन जातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित होगें। पिछडी जाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान अधिनियम में है लेकिन वह अनिवार्य नहीं है। अगर राज्य विधानमंडल चाहें तो इस वर्ग की महिलाओं के लिए भी पद आरक्षित कर सकता है।

स्थानीय स्वशासन में एक तिहाई आरक्षण से महिलाओं की भागीदारी तो अवश्य बढी है किन्तु नेतृत्व लेने की क्षमता का विकास न होने के कारण वह पंचायतों में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पायी। इसका मुख्य कारण यह था कि पहले तो उन्हें प्रशासन के लिए उपलब्ध जानकारी और पर्याप्त कौशल नही होता था। जिस कारण परिवार के पुरूष ही 'प्रधान पति' निर्णय लेने में कर्ता धर्ता बन गयें। जो पुरूषवादी मानसिकता का परिचायक है और दूसरा अशिक्षा भी इसका मुख्य कारण था। इस कारण महिला प्रतिनिधियों में नेतष्त्व की क्षमता के विकास की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। जिस कारण महिला प्रधान पंचायती राज संस्था में डमी की भांति अपनी भूमिका निभा रही थी। अतः महिलाओं के नेतृत्व की क्षमता के विकास के लिए पहला कदम तो यह था कि प्रधान पति द्वारा पंचायतों की निर्णायक भूमिका के हस्तक्षेप को रोकना होगा। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक शासनादेश लागू किया गया। इस स्थिति से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश चिन्तित था। तभी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने शासनादेश संख्या 879/33–1–127/98 दिनांक 10 मार्च 1998 जो सचिव पंचायती राज द्धारा समस्त मण्डलायुक्तों एंव जिलाधिकारियों को भेजा गया जिसमें कहा गया कि 33 प्रतिशत आरक्षण के फलस्वरूप जो महिला निर्वाचित होकर आयी है। उनके संम्बन्धी कार्यालयों मे कदापि प्रवेश न करे। वह अपने विवेक से कार्य करेगी और यदि अपरिहार्य कारणोंवश उन्हें आना भी पड़े तो एक रजिस्टर में उनका नाम तथा आने का कारण अंकित किया जाये।

इस प्रकार का शासनादेश लागू होने से इसका प्रभाव तो थोड़ा बहुत जरूर पडा। शासन की औपचारिक बैठकों में प्रधान पतियों एवं पुत्रों का आना–जाना तो कम हुआ था। लेकिन उत्तर प्रदेश में ही कुछ महिला प्रधान ऐसी थीं कि वह स्वयं निर्णय लेने में सक्षम थी। आज पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि एंव पदाधिकारी ग्राम स्तर पर कार्यरत अधिकारियों की कार्यशैली को मूक दर्शक के रूप मे देखने की मजबूरी से पीड़ित नहीं हैं, उनको समझ में आने लगा है कि स्थानीय समस्याओं का क्या स्वरूप है? स्कूल, सड़कें, पीने के पानी की व्यवस्था कम से कम 6 महीने रोजगार, तालाबों की सफाई एंव मरम्मत, शिक्षा व स्वास्थ्य साल भर सिचाई की सुविधा आदि ऐसे मामलें हैं जिससे गांव का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से प्रभावित अवश्य है। महिला प्रधान द्वारा इन समस्याओं को उठाने पर पुरूष सदस्यों ने भी उनका समर्थन किया। इस प्रकार यदि महिला प्रधान स्थानीय समस्याओं को भली भांति समझती है तो उनके समाधन मे भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। अतः महिलाओं के इन सराहनीय कार्यों को और भी अधिक विकसित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं मे महिला आरक्षण 33 प्रतिशत से बढाकर

50 प्रतिशत करने पर जो शक्ति उन्हे प्राप्त हुई है उससे उनकी भागीदारी निश्चित रूप से बढ़ी है। किन्तु भागीदारी बढ़ने के साथ ही निर्णय लेने की स्थिति में कहाँ तक बदलाव आये हैं यह भी देखना आवश्यक है।

एक ओर तो पंचायतों के अध्ययन के अनुभव में महिलाओं ने उचित अवसर मिलने पर अपनी निर्णायक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है वही दूसरी ओर आलोचनायें भी होती हैं कि कुछ महिलाओं के नाम पर उनके पति द्वारा वास्तविक भूमिका निभायी जाती हैं। पर साथ में ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां महिलाओं ने प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया है। उनके इन प्रयासों से गाँव की प्रगति की शुरूआत हुई है। किन्तु प्रशिक्षण की प्राथमिकता को स्वीकार करते हुए भी राजस्थान की पंचायतों के लिए व्यवहारिक स्तर पर सरकार की ओर से कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी। लेकिन उससे अधिक चिन्ता का विषय यह था कि सरपंचों अथवा अन्य पंचायत प्रतिनिधियों की दृष्टि में भी प्रशिक्षण से पहले बजट की प्राथमिकता प्रमुख थी। एक दो लोगों को छोड़कर किसी ने भी प्रशिक्षण को मुददा नहीं बनाया।

स्थानीय स्वशासन के सुचारू रूप से चलाने के लिए महिला प्रधान के शिक्षित होने के साथ–साथ प्रशिक्षण की आवश्यकता को अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि किसी भी सरकारी या गैर –सरकारी कार्यों में शिक्षा की अनिवार्यता का स्तर अलग–अलग होता है। लेकिन प्रशिक्षण सभी को दिया जाता है क्योंकि शिक्षित हो या अशिक्षित, प्रशिक्षण के बिना हम किसी भी कार्य को भली प्रकार से नही कर सकते । वास्तव में पंचायत प्रतिनिधियों के शिक्षित होने पर जोर दिया जा रहा है उसके पीछे प्रशिक्षण का ही अर्थ है। क्योंकि साक्षरता या डिग्री से पंचायतों का संचालन नही हो सकता। इसके लिए विशेष समझ और कौशल की आवश्यकता होगी। जो प्रारम्भ में प्रशिक्षण और बाद में कार्य करने की प्रक्रिया से ही प्राप्त होगा।

इसका सबसे अच्छा उदाहरण बिहार राज्य है। जिसने 2006 में पंचायतों में महिलाओं का 50 प्रतिशत आरक्षण कर महिला सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही निरक्षरता पर सबसे अधिक सघन घनी आबादी और कुल प्रजनन दर अधिकतम वाले गंभीर समस्याग्रस्त बिहार जैसे राज्य में 8500 पंचायतों में 4500 से अधिक महिलाएं चुनाव जीती हैं। यह अपने आप में अनोखा उदाहरण है। जिसमे पहली बार चूल्हे–चोके की दुनिया में रहने वाली ज्यादातर इन महिलाओं द्वारा स्वंय को साबित कर सार्वजनिक क्षेत्र में कदम रखा था। साक्षर न होने पर भी प्रशिक्षण द्वारा गांवों विकास के कार्यों को भली–भांति समझा व किया जा सकता है। आज तक जितने भी सदस्य/माननीय जनप्रतिनिधि हमारी विधानसभाओं व लोकसभा में जीतते आये हैं, वे सभी उच्च डिग्री वाले तो नही होते फिर भी मंत्री बनने के बाद कार्य को करते है। फिर ग्रामीण महिलाओं से यह अपेक्षा करना कि वह शिक्षित हो, अशिक्षित होने पर उनकी आलोचना करना सही नही है।(कुरूक्षेत्र, पृष्ठ संख्या 37, जनवरी, 2019)

अतः महिला सहभागिता को बढ़ाने व सफलतापूर्वक पंचायती राज के कार्यों को पूर्ण करने में सरकार द्वारा महिला प्रशिक्षण को और अधिक सशक्त बनाने के लिए महिला और बाल

विकास मंत्रालय मे पंचायती राज के सहयोग से 17 अप्रैल, 2017को देश भर में महिला पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता के सशक्त निर्माण व विकास और प्रशिक्षण के बारे में एक विस्तृत मॉडल शुरू किया गया है जिसके तहत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमताओं, और दक्षताओं एव कौशल का विकास करके उन्हें अधिकार सम्पन्न बनाना है।

ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव में जीतने के पश्चात् स्थानीय –स्वशासन की जो जिम्मेदारी उन्हें सौपीं गई हैं। उनमें वह कितना सफल हुई हैं? महिला और बाल विकास विभाग ने समाज के सबसे निचले स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में महिला सरपंचों तथा अन्य महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के साथ इस देशव्यापी कार्यक्रम की शुरूआत की। सडकों, नालों, शौचालय मामलों, वित्तीय मामलों, सामान्य विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण आदि शामिल है। इस प्रशिक्षण से महिला सरपंचों को आम आदमी, विशेषतौर पर उपेक्षित और विवादाग्रस्त लोगों के लाभ की योजनाओं और कार्यक्रमों पर अमल करने मे मदद मिलेगी और सरकारी योजनाओं का सफल कियान्वयन हो सकेगा। इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रम से इन महिलाओं को नेतृत्व के अगले पायदान तक पहुँचाने में भी मद्द मिलेगी। इस समय देश में महिला सरपंचों की संख्या करीब 13 लाख है। अगर देशभर में महिला प्रतिनिधियों को सही ढंग से प्रशिक्षित किया जाए तो इससे ग्रामीण समाज के लोगों के जीवन मे अवश्य ही बदलाव आयेगा।

संदर्भ ग्रंथ

1. झां सिद्धार्थ–*'महिलायें औंर पंचायतें''* कुरूक्षेत्र पत्रिका अंक– 03, माह जनवरी 2018, (भारत सरकार, नई दिल्ली) पृं0 **72**
2. शर्मा, कविता – *''स्त्री सशक्तिकरण के आयाम''* संशोधन, पृं0 **133**
3. प्राण, चन्द्र शेखर – *''पंचायत और गांव समाज पुनर्जागरण की राह'* नये पंचायती राज की जमीनी सच्चाई, प0 **94–95**
4. शर्मा, कविता – *''स्त्री विकास की ऐतिहासिक रूपरेंखा अवधारणा, विकास, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संदर्भ''* राजनीति मे स्त्रियों की भागीदारी, पृं0 **157**
5. डोगरा, भारत– *''पंचायती राज सशक्त लोकतंत्र'* पंचायती राज मे सामने आयी महिलाओं की नेतृत्व क्षमता, कुरूक्षेत्र पत्रिका अंक– 01, माह नवम्बर 2015, (भारत सरकार, नई दिल्ली), पृ0 **30**
6. प्राण, चन्द्र शेखर – *''पंचायत और गांव समाज पुनर्जागरण की राह''* नये पंचायती राज की जमीनी सच्चाई, पृं0 **67**
7. डा0 चौधरी, कृष्ण चन्द्र– *''पंचायतों मे महिलाओं की भागीदारी''* कुरूक्षेत्र पत्रिका अंक– 09, माह जुलाई 2018, (भारत सरकार, नई दिल्ली), पृ0 **60**
8. डा0 चौधरी, कृष्ण चन्द्र–*' ' पंचायतों मे महिलाओं की भागीदारी''* कुरूक्षेत्र पत्रिका अंक– 09, माह जुलाई 2018, (भारत सरकार, नई दिल्ली), पृं0 **37**
9. झां सिद्धार्थ–*'महिलायें औंर पंचायतें ''* कुरूक्षेत्र पत्रिका अंक– 03, माह जनवरी 2018, (भारत सरकार, नई दिल्ली) पृ0 **37**